[2020] 4 उम. नि. प. 88

मुस्ताक उर्फ कानियो अहमद शेख

बनाम

गुजरात राज्य

[2017 की दांडिक अपील सं. 488-489]

18 जून, 2020

न्यायमूर्ति आर. बानुमति और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 114 और बंबई पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25(1)(ख)(क)] – हत्या करने के लिए प्रयत्न – अपीलार्थी-अभियुक्त और एक अन्य अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त (क्षतिग्रस्त) को अपनी कार में जाते हुए अत्यंत निकट से गोली मारा जाना – दोषसिद्धि और दंडादेश – जहां विपदग्रस्त और घटना के शिकायतकर्ता दोनों द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में अपीलार्थी की एक अभियुक्त के रूप में शनाख्त परेड के साथ-साथ न्यायालय में भी शनाख्त की गई हो, विपदग्रस्त के शरीर से निकाली गई गोली का संबंध न्यायालयिक परीक्षण में अभियुक्त के बताने पर बरामद आयुध से स्थापित हुआ हो, पंच साक्षी द्वारा भी अभियुक्त की शनाख्त की गई हो, वहां साक्ष्य में छुट-पुट विसंगतियों के होते हुए भी अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा एक अन्य सह-अभियुक्त की सहायता और दुष्प्रेरण से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर डा. जयदीप पटेल नामक व्यक्ति (विपदग्रस्त) पर उस समय जब वह उसके ड्राइवर (शिकायतकर्ता) द्वारा चलाई जा रही अपनी कार से अपने निवास से अपनी प्रयोगशाला जा रहा था, अत्यंत निकट से उसे गोली मारकर हत्या का प्रयत्न करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307/114 के साथ-साथ आयुध अधिनियम और बंबई पुलिस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था । एक अन्य

तीसरे अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था । अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई । राज्य ने भी दंडादेश में वृद्धि करने के लिए अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि की पुष्टि की किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 307/114 के अधीन छह वर्ष के दंडादेश को बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । राज्य द्वारा भी अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए और उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्षियों के अभिसाक्ष्यों और अविलंब लिए गए दस्तावेजों से इस बात में तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि विपदग्रस्त को तारीख 3 दिसंबर, 2002 को लगभग 4.45 बजे ग्लेक्सी सिनेमा के निकट उस समय गोली मारी गई थी जब वह अपने ड्राइवर, शिकायतकर्ता द्वारा चलाई जा रही अपनी इंडिका कार में अपने घर से अपनी रोगविज्ञान प्रयोगशाला जा रहा था । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) और विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) दोनों ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब उक्त कार ग्लेक्सी सिनेमा के निकट स्पीड ब्रेकर पार करने के लिए धीमी हुई, तो एक मोटरसाइकिल जो कार का पीछा कर रही थी, बाईं तरफ आकर रुकी और पीछे बैठे व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली तथा अत्यंत निकट से विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) को गोली मार दी और भाग गए । शिकायतकर्ता और विपदग्रस्त दोनों ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में अपीलार्थी की शनाख्त की थी । सेशन न्यायालय के निर्णय और आदेश से, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से अभिपुष्टि की गई थी, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की शनाख्त पंच साक्षी (अभि. सा. 10) के अतिरिक्त विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) और शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) दोनों द्वारा की गई थी । जो भी स्थिति हो, क्षतिग्रस्त विपदग्रस्त का परिसाक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है ।

अभि. सा. 11, न्यायिक मजिस्ट्रेट के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी तथा नकली (डम्मी) व्यक्तियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के

समक्ष साक्षियों के पहुंचने से पूर्व लाया गया था । यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अपीलार्थी की सम्यक् रूप से शनाख्त की गई थी । प्रतिरक्षा पक्ष अपीलार्थी की शनाख्त परेड में किसी ऐसी कमी को दर्शित करने में सफल नहीं रहा था जिससे शनाख्त दूषित होती हो ।

विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और अभियोजन पक्ष तथा अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों को सुनने के पश्चात् यह पाया था कि तीसरा अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वह किसी षड्यंत्र का भाग था । तद्नुसार, तीसरे अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था । तथापि, सेशन न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त को दोषी पाया और उन्हें विपदग्रस्त को निशाना बनाने और हत्या का प्रयत्न करने में एक-दूसरे की सहायता करने और दुष्प्रेरित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 307, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख)(क) के साथ पठित बंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया था । इस न्यायालय की सुविचारित राय में, सेशन न्यायाधीश ने ठीक ही यह पाया था कि छुट-पुट विसंगतियों के होते हुए भी, अभियोजन पक्ष ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अपराध की कड़ियों को अपीलार्थी से संबद्ध करते हुए घटनाओं की श्रृंखला को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है ।

इस अपील में, प्रथम अभियुक्त की दोषसिद्धि से इस न्यायालय का सरोकार नहीं है । इस न्यायालय की राय में, अभिकथित अपराधों में अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता को, अन्य बातों के साथ-साथ, विपदग्रस्त को पहुंची क्षति, विपदग्रस्त के शरीर से निकाली गई गोली, अपीलार्थी की संस्वीकृति के आधार पर बरामद किए गए आयुध से न्यायालयिक प्रयोगशाला के परीक्षण द्वारा गोली को संबद्ध करके, अपराध के दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) और विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) के साक्ष्य, शिकायतकर्ता और विपदग्रस्त द्वारा शनाख्त परेड के साथ-साथ न्यायालय में भी अपीलार्थी की शनाख्त, पंच साक्षी (अभि. सा.10) द्वारा अपीलार्थी की उस व्यक्ति के रूप में शनाख्त करके

जिसके बताने पर आक्रामक आयुध बरामद किया गया था, सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया था । इस न्यायालय के मत में, सेशन न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष तीसरे अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा था, या यह सिद्ध नहीं कर सका था कि अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त उस षड्यंत्र का भाग थे जिसमें हिंदू समुदाय के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया था । इस न्यायालय के मत में, उच्च न्यायालय ने 2006 की दांडिक अपील सं. 1145 को ठीक ही खारिज किया था और प्रत्यर्थी राज्य द्वारा फाइल की गई 2006 की दांडिक अपील सं. 567 को मंजूर करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 307 के अधीन अपीलार्थी के दंडादेश में, अपराध की घोरता और गंभीरता पर विचार करते हुए, केवल सात वर्ष की सीमा तक वृद्धि करके ठीक किया था । (पैरा 27, 30, 35, 53, 57, 58 और 59)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 6 एस. एस. सी. 623 : **इकबाल और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	41
[2003]	(2003) 5 एस. सी. सी. 499 : **सलीम अख्तर** उर्फ **मोटा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	49
[2002]	(2002) 8 एस. सी. सी. 45 : **बोधराज** उर्फ **बोधा और अन्य** बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** ।	49

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 488-489.

2006 की दांडिक अपील **सं** 1145 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के तारीख 29 सितंबर, 2015 के सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, ज्येष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री हिमांतिका वाही

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने दिया ।

न्या. बनर्जी – यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद की एक खंड न्यायपीठ द्वारा 2004 के सेशन मामला सं 245 में नगर अपर सेशन न्यायाधीश (न्यायालय सं. 6), अहमदाबाद द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2006 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि करते हुए, अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई 2006 की दांडिक अपील सं. 1145 को खारिज करते हुए, प्रत्यर्थी राज्य द्वारा फाइल की गई 2006 की दांडिक अपील सं. 567 को भागत: मंजूर करते हुए किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए छह वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश को बढ़ाकर सात वर्ष करते हुए तारीख 29 सितंबर, 2015 को पारित किए गए एक सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध है ।

2. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपने पूर्वोक्त निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी और एक सलीम **उर्फ** सलीम चौराला याकुभाई पटेल, जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम अभियुक्त कहा गया है, को एक डा. जयदीप पटेल, जिसे इसमें इसके पश्चात् विपदग्रस्त कहा गया है, की एक-दूसरे की सहायता करने और दुष्प्रेरित करके हत्या के लिए निशाना बनाने और हत्या का प्रयत्न करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 307 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख)(क) के साथ पठित बंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था । तृतीय अभियुक्त अभासबेग हबीबबेग मिर्जा को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था ।

3. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 307 के अधीन अपराध के लिए छह वर्ष का कठोर कारावास, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख)(क) के अधीन अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास और बंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) का अतिक्रमण

करने के लिए छह माह का कठोर कारावास समवर्ती रूप से भोगने का दंडादेश दिया था । अपीलाधीन निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त की दोषसिद्धि के आदेश और निर्णय की पुष्टि की, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा/114 के अधीन अपराध के लिए कारावास के दंडादेश को बढ़ाकर छह वर्ष के बजाय सात वर्ष कर दिया ।

4. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि विपदग्रस्त, जो तारीख 3 दिसंबर, 2002 को लगभग 4.45 बजे अपराह्न में अपने निवास से उसके ड्राइवर जिग्नेश जी. व्यास, जो शिकायतकर्ता है, द्वारा चलाई जा रही अपनी इंडिका कार में, जिसका पंजीकरण सं. जीजेआई एचई 1575 था, अपनी प्रयोगशाला जा रहा था, ग्लेक्सी सिनेमा के निकट अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही एक मोटरसाइकिल से, जिस पर प्रथम अभियुक्त पीछे बैठा हुआ था, प्रथम अभियुक्त द्वारा चलाई गई एक पिस्तौल से गोली मार दी गई थी ।

5. जब कार को एक स्पीड ब्रेकर पार करने के लिए धीमा होना पड़ा, चूंकि यहां से ग्लेक्सी सिनेमा का रास्ता जा रहा था, अपीलार्थी ने मोटरसाइकिल को विपदग्रस्त की कार की बगल में, जिस तरफ विपदग्रस्त बैठा हुआ था, अचानक रोका और प्रथम अभियुक्त ने एक पिस्तौल निकाली और विपदग्रस्त को गोली मार दी और इसके पश्चात् अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । गोली खिड़की के शीशे से पार हो गई और विपदग्रस्त को उसके चेहरे पर टकराई ।

6. यह प्रतीत होता है कि विपदग्रस्त को गोली लगने के पश्चात् उसने शिकायतकर्ता को उसे डा. परेशभाई के अस्पताल में ले जाने के लिए कहा जो कि निकट ही था । तथापि, चूंकि डा. परेशभाई उपलब्ध नहीं थे, इसलिए विपदग्रस्त को डा. नरेन्द्र संघवी के आनंद सर्जिकल हास्पिटल, सियाजपुर ले जाया गया, जहां विपदग्रस्त को प्रारंभिक उपचार दिया गया । डा. संघवी के इस परामर्श पर कि विपदग्रस्त को एक बेहतर सुसज्जित अस्पताल में ले जाया जाना चाहिए, विपदग्रस्त को स्ट्रलिंग अस्पताल ले जाया गया । इसी बीच, शिकायतकर्ता ने पुलिस के पास, जो घटना की सूचना मिलने पर आनंद सर्जिकल हास्पिटल पहुंची

थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन एक शिकायत फाइल की । इस शिकायत को नरोदा पुलिस थाने में अग्रेषित किया गया और आईसीआर 530/02 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

7. उसके पश्चात्, पुलिस ने अन्वेषण का कार्य संभाला, शिकायतकर्ता की परीक्षा की, घटनास्थल पर गई, टूटे हुए शीशे के टुकड़े आदि जैसे वस्तुएं अभिगृहीत की । बाद में, विपदग्रस्त द्वारा जब उसे गोली मारी गई थी पहने हुए वस्त्र, कार के पायदान और कार की पिछली सीट पर रखे हुए एक कवर जिसे कारपेट के रूप में वर्णित किया गया था और जिस पर मानवीय रक्त आदि लगा था और कार के अंदर पाई गई अन्य वस्तुएं भी अभिगृहीत की गई थीं । शल्यक्रिया करने और गोली को निकालने के पश्चात् और जब विपदग्रस्त परीक्षा किए जाने की स्थिति में था, अन्वेषक अधिकारी ने उसका कथन अभिलिखित किया । प्रथम अभियुक्त और अपीलार्थी को क्रमश: तारीख 30 दिसंबर, 2002 और 31 दिसंबर, 2002 को गिरफ्तार किया गया था । प्रथम अभियुक्त की शनाख्त परेड तारीख 2 जनवरी, 2003 को और अपीलार्थी, जो द्वितीय अभियुक्त के रूप में नामांकित था, की शनाख्त परेड तारीख 4 जनवरी, 2003 को आयोजित की गई थी । जब अभियुक्त अभिरक्षा में थे, अपीलार्थी की संस्वीकृति के आधार पर पुलिस द्वारा अपीलार्थी द्वारा दर्शाए गए स्थान से अपराध में प्रयुक्त आयुध बरामद किया गया था ।

8. तीन आयुध, जिन्हें पंचनामा में जिसके अधीन उन्हें अभिगृहीत किया गया था, एक देशी पिस्तौल, एक पिस्तौल जो स्पष्ट रूप से इंग्लैंड में बनी थी और स्पष्ट रूप से चीन में बनी एक अन्य पिस्तौल के रूप में वर्णित किया गया था, शाहआलम दरगाह के निकट एक खुले मैदान से जमीन के नीचे से बरामद किया गया था । ये आयुध तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति के शरीर से बरामद की गई गोली को भी विश्लेषण और परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था ।

9. अभियोजन पक्ष का यह अभिकथन था कि विपदग्रस्त को गोधरा की दुर्घटना, जो फरवरी, 2002 में घटी थी, के पश्चात् अहमदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों के परिणाम के तौर पर निशाना बनाया गया था । अभियुक्तों ने उस धार्मिक समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों को निशाना

बनाने और समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था, जिससे विपदग्रस्त का संबंध था । तद्नुसार, अभियुक्तों ने विपदग्रस्त, जो दंगों के समय पर एक धार्मिक संगठन का प्रमुख सदस्य और इसका सचिव था और जो एक विकृति-विज्ञान प्रयोगशाला चलाता था, की गतिविधियों की मॉनीटरिंग करनी आरंभ कर दी ।

10. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् प्रथम अभियुक्त, अपीलार्थी, जिसका नाम द्वितीय अभियुक्त के रूप में नामांकित था और एक अभासबेग हबीबबेग मिर्जा, जिसका नाम तृतीय अभियुक्त के रूप में था, के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे और मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था तथा इसे 2004 के सेशन मामला सं. 245 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

11. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए शिकायतकर्ता और विपदग्रस्त सहित, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, निम्नलिखित 14 साक्षियों की परीक्षा की :–

1. हरिभाई जेठाभाई
2. जैमिनी पी. पटेल
3. महेश रावजीभाई पटेल
4. पूनमभाई रणछोड़भाई पटेल
5. डा. नरेन्द्र पी. संघवी
6. दिवांग एम. पारिख
7. परेश कुमार पी. जेठवाल
8. जिग्नेश जी. व्यास
9. डा. अनिल बंसल
10. प्रदीप मोहनभाई पटेल
11. मोहम्मदयुनुस ए. मंसूरी
12. डा. जयदीप ए. पटेल
13. डा. श्रीकांत प्रभाकर
14. गागाभाई एल. खूंटी

12. अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य जैसे शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई शिकायत, विपदग्रस्त की चिकित्सा रिपोर्ट/प्रमाणपत्र, घटनास्थल पर तैयार किया गया पंचनामा, वस्तुओं, वस्त्रों आदि की बरामदगी से संबंधित पंचनामे, प्रथम अभियुक्त और अपीलार्थी (द्वितीय अभियुक्त) की शनाख्त से संबंधित पंचनामे, अपीलार्थी के कथन के आधार पर आयुधों की बरामदगी और विपदग्रस्त के शरीर से निकाली गई गोली से संबंधित पंचनामे, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्टों, झूठ पकड़ने से संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट आदि का भी अवलंब लिया ।

13. विपदग्रस्त, जिसने स्वयं 12वें साक्षी (अभि. सा. 12) के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था, ने यह कहा कि घटना तारीख 3 दिसंबर, 2002 को लगभग 4.45 बजे अपराह्न में उस समय घटी थी जब वह अपने घर से जीएचआई एचई 1575 पंजीकरण संख्यांक वाली अपनी टाटा इंडिका कार, जो शिकायतकर्ता द्वारा उसका ड्राइवर होने के नाते चलाई जा रही थी, अपनी रोगविज्ञान प्रयोगशाला जा रहा था । विपदग्रस्त ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह कार की पिछली सीट पर बाईं तरफ बैठा हुआ था । जब कार ग्लेक्सी सिनेमा होकर गुजर रही थी, यह एक स्पीड ब्रेकर पर धीमी हुई थी । जैसे ही कार ने स्पीड ब्रेकर पार किया, बाईं तरफ से एक शोर सुनाई दिया, जिसके बारे में विपदग्रस्त ने बाद में अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट किया कि यह आवाज आ रही एक मोटरसाइकिल की थी । शोर सुनने पर विपदग्रस्त मोटरसाइकिल की दिशा में मुड़ा जो कार के साथ चल रही थी और देखा कि मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति थे । पीछे बैठे व्यक्ति के पास हाथ में एक आयुध था, जो एक पिस्तौल जैसा दिखाई दे रहा था । पीछे बैठे व्यक्ति ने गोली चला दी । गोली विपदग्रस्त से टकराई और वह दाईं तरफ लुढक गया । उसने यह बताया कि उसे डा. परेशभाई के अस्पताल ले जाया गया था जो कि उसकी प्रयोगशाला के निकट था किंतु वहां डाक्टर नहीं था । उसने इसके पश्चात् अपने ड्राइवर को उसे आनंद सर्जिकल हास्पिटल ले जाने के लिए कहा । उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही थी । वे आनंद सर्जिकल हास्पिटल पहुंचे और डा. नरेन्द्र संघवी को घटना बताई । डा. संघवी ने उपचार आरंभ किया, एक्सरे किया और प्राथमिक उपचार दिया । किंतु यह सिफारिश की कि विपदग्रस्त को किसी और बड़े अस्पताल में

ले जाया जाना चाहिए । उसके पश्चात् विपदग्रस्त को स्ट्रलिंग अस्पताल में स्थानांतरित किया गया । विपदग्रस्त ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि नैदानिक रिपोर्टों की परीक्षा करने के पश्चात् स्ट्रलिंग अस्पताल के डाक्टरों ने विपदग्रस्त की शल्यक्रिया करने का विनिश्चय किया । स्ट्रलिंग अस्पताल में तारीख 4 दिसंबर, 2002 को शल्यक्रिया की गई और गोली निकाली गई । विपदग्रस्त स्ट्रलिंग अस्पताल में लगभग आठ दिनों तक एक अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती रहा था, उसके पश्चात् उसे तारीख 11 दिसंबर, 2002 को छुट्टी दी गई थी । उसने यह कहा कि क्षति के कारण उसकी बाईं आंख के नीचे की हड्डी टूट गई थी जिसके लिए उसे अस्पताल से उसकी छुट्टी होने के पश्चात् लगभग 6 माह तक उपचार कराना पड़ा था । उसने यह कहा कि क्षति के कारण उसकी बाईं आंख की दृष्टि खराब हो गई थी ।

14. विपदग्रस्त ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह प्राख्यान किया कि उसने दोनों मोटरसाइकिल सवारों-ड्राइवर और पीछे बैठे हुए व्यक्ति को देखा था और उनकी शनाख्त कर सकता है तथा उसने शनाख्त परीक्षण परेड और न्यायालय में भी उनकी शनाख्त की ।

15. शिकायतकर्ता ने आठवें (अभि. सा. 8) के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था । इस साक्षी (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे ग्लेक्सी सिनेमा के पास कार को धीमा करना पड़ा था चूंकि वहां एक स्पीड ब्रेकर था । उस समय कार के पीछे एक मोटरसाइकिल थी जिस पर दो व्यक्ति सवार थे । आगे बैठे व्यक्ति ने काले चश्मे और एक काली टोपी पहनी हुई थी । अभि. सा. 8 ने यह कहा कि जैसे ही उसने स्पीड ब्रेकर पार किया, उसने गोली चलाने की आवाज सुनी और अपनी बाईं तरफ मुड़ने पर उसने पाया कि बाइक पर बैठे व्यक्ति चंदरेश नगर सोसाइटी की ओर भाग रहे थे । पीछे बैठे व्यक्ति के पास एक आयुध था जो पिस्तौल या रिवाल्वर जैसा दिखाई पड़ता था, जिसे उसने अपनी जैकेट की जेब में रखा था । जब अभि. सा. 8 ने पीछे देखा तो उसने पाया कि विपदग्रस्त की बाईं आंख से रक्तस्राव हो रहा था ।

16. इस साक्षी ने इस बात की पुष्टि की कि वह विपदग्रस्त को पहले डा. परेशभाई के अस्पताल में लेकर गया था किंतु डाक्टर वहां नहीं

था । इसलिए विपदग्रस्त को डा. नरेन्द्र संघवी के आनंद सर्जिकल हास्पिटल ले जाया गया था, जहां विपदग्रस्त को प्राथमिक उपचार दिया गया था । जब उपचार चल रहा था तब पुलिस पहुंची थी और उसकी शिकायत ली थी । इस साक्षी ने अपने द्वारा दी गई शिकायत की शनाख्त की और यह कथन किया कि पुलिस अधिकारी ने भी शिकायत पर उसकी मौजूदगी में हस्ताक्षर किए थे । उसने इस बात की पुष्टि की कि शिकायत में उल्लिखित तथ्य सत्य थे ।

17. इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि डा. नरेन्द्र संघवी के इस परामर्श की पालना में कि विपदग्रस्त को किसी बेहतर सुसज्जित अस्पताल में ले जाया जाना चाहिए, विपदग्रस्त को उसी दिन स्ट्रलिंग अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था । अगले दिन, शिकायतकर्ता ने पुलिस को घटनास्थल दिखाया था । पुलिस ने अन्वेषण किया था ।

18. इस साक्षी (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया कि तारीख 4 जनवरी, 2003 को पुलिस ने उसे घिकांता के न्यायालय में बुलाया था । न्यायालय चपरासी ने इस साक्षी को लगभग 15 से 20 मिनट तक न्यायालय के बाहर बिठाया था और उसके पश्चात् उसे न्यायालय कक्ष में न्यायाधीश के समक्ष लेकर गया था और न्यायाधीश ने उसे छह व्यक्तियों में से अभियुक्तों की शनाख्त करने के लिए कहा था । इस साक्षी ने मोटरसाइकिल चलाने वाली व्यक्ति की शनाख्त की थी । अभि. सा. 8 द्वारा शनाख्त किए गए व्यक्ति ने यह बताया कि उसका नाम मुस्ताक **उर्फ** कानियो है । शनाख्त के पश्चात् न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को बाहर जाने के लिए कहा था ।

19. न्यायालय में इस साक्षी ने पुन: उक्त व्यक्ति की शनाख्त की जिसकी उसने पहले शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त की थी और जिसने यह बताया था कि उसका नाम मुस्ताक **उर्फ** कानियो है । इस साक्षी ने न्यायालय में मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति, जो प्रथम अभियुक्त है, की भी शनाख्त की थी ।

20. इस साक्षी ने यह कहा कि यान के पिछले बाएं दरवाजे पर एक छोटा शीशा था, जिस पर एक स्टील की परत लगी हुई थी । गोली उक्त

परत से आई थी और शीशा टूट गया था । शीशे के टुकड़े पिछली सीट पर पड़े थे । पीछे लगा बोर्ड, जहां स्पीकर्स रखे थे, पिछले सीट की पेटी तथा सीट पर रखे कारपेट पर भी रक्त के धब्बे थे । इस साक्षी ने घटना के समय विपदग्रस्त द्वारा पहने हुए वस्त्रों की भी शनाख्त की थी ।

21. इस साक्षी की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी तथापि, वह प्रतिपरीक्षा में अडिग रहा था । उसने विश्वासपूर्वक अभिसाक्ष्य दिया कि मोटरसाइकिल एक यामाह मोटरसाइकिल थी । यद्यपि उसे इसके संख्यांक की जानकारी नहीं थी । उसने इस बात की पुष्टि की कि उसने शनाख्त परेड में द्वितीय अभियुक्त की शनाख्त की थी और उसने न्यायालय में अपीलार्थी (द्वितीय अभियुक्त) और प्रथम अभियुक्त (सलीम) की मोटरसाइकिल के ड्राइवर और इसके पीछे बैठे व्यक्ति, जिसने गोली चलाई थी, दोनों की शनाख्त की थी ।

22. अपीलार्थी की संस्वीकृति के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दिखाए गए स्थान से भूमि के नीचे उस आयुध की बरामदगी को, जिससे अपराध कारित किया गया था, पंच साक्षी प्रदीप मोहनभाई पटेल द्वारा साबित किया गया था जिसने दसवें साक्षी (अभि. सा. 10) के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था । इस साक्षी ने न्यायालय में भी अपीलार्थी की उस व्यक्ति के रूप में शनाख्त की थी जिसके बताने पर पुलिस द्वारा उसकी मौजूदगी में तीन आयुध बरामद किए गए थे ।

23. न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात् मोहम्मदयुनुस ए. मंसूरी, जिसने शनाख्त परीक्षण परेड आयोजित की थी, ने 11वें साक्षी (अभि. सा. 11) के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था । उसने शिकायतकर्ता और विपदग्रस्त द्वारा उसके द्वारा आयोजित की गई शनाख्त परीक्षण परेडों में अपीलार्थी की शनाख्त करने की बात की अभिपुष्टि की थी ।

24. इस मामले में तीन डाक्टरों ने अभिसाक्ष्य दिया था । डाक्टर नरेन्द्र पी. संघवी, जिसने अभि. सा. 5 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था, ने यह कथन किया था कि उसने विपदग्रस्त को प्राथमिक उपचार दिया था, परीक्षण किए थे और विपदग्रस्त की क्षति की गंभीरता पर विचार करते हुए यह सिफारिश की थी कि उसे एक बड़े, बेहतर सुसज्जित

अस्पताल में ले जाया जाए । नौवें अभियोजन साक्षी (अभि. सा. 9) डाक्टर अनिल बंसल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्ट्रलिंग अस्पताल ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि विपदग्रस्त को तारीख 3 दिसंबर, 2002 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न में स्ट्रलिंग अस्पताल लाया गया था । उसे एक गोली से क्षति पहुंची प्रतीत हो रही थी । इस साक्षी ने अन्य डाक्टरों के साथ विपदग्रस्त का शारीरिक परीक्षण किया था । यह प्रतीत हुआ था कि उसे बाईं आंख के नीचे एक सेंटीमीटर का घाव था किंतु वह पूरी तरह होश में था और उसकी नाड़ी, रक्तचाप इत्यादि सामान्य थे । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि विपदग्रस्त को तुरंत शल्यक्रिया कक्ष में स्थानांतरित किया गया था जहां उसकी शल्यक्रिया की गई थी और गोली बाहर निकाली गई थी । विपदग्रस्त को अस्पताल से तारीख 11 दिसंबर, 2002 को छुट्टी दी गई थी ।

25. इस साक्षी ने विपदग्रस्त को उसकी क्षतियों और उपचार के संबंध में अस्पताल द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की भी शनाख्त की थी । उसने यह कहा कि प्रमाणपत्र मुद्रित प्ररूप में जारी किया गया था किंतु उसने प्रमाणपत्र पर अपनी लिखाई और हस्ताक्षर की शनाख्त की । इस साक्षी ने यह मत व्यक्त किया था कि रोगी को पहुंची क्षतियां गंभीर कही जा सकती हैं क्योंकि गोली बाईं आंख के निचले भाग से रोगी की गर्दन में प्रवेश कर गई थी ।

26. 13वें अभियोजन साक्षी (अभि. सा. 13) डा. श्रीकांत, शल्य चिकित्सक ने यह कहा कि तारीख 4 दिसंबर, 2002 को उसने अपने डाक्टरों के दल के साथ विपदग्रस्त की शल्यक्रिया की थी, जिसे गोली लगने से क्षति पहुंची थी । गोली गर्दन की बाईं तरफ धंसी हुई थी । डाक्टर ने वर्णन किया कि गोली कैसे बाहर निकाली गई थी । इस डाक्टर ने यह भी राय व्यक्त की थी कि गोली शरीर के मार्मिक अंग में धंसी हुई थी ।

27. ऊपर नामित साक्षियों के अभिसाक्ष्यों और अविलंब लिए गए दस्तावेजों से इस बात में तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि विपदग्रस्त को तारीख 3 दिसंबर, 2002 को लगभग 4.45 बजे ग्लेक्सी सिनेमा के निकट उस समय गोली मारी गई थी जब वह अपने ड्राइवर,

शिकायतकर्ता द्वारा चलाई जा रही अपनी इंडिका कार में अपने घर से अपनी रोगविज्ञान प्रयोगशाला जा रहा था । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) और विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) दोनों ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब उक्त कार ग्लेक्सी सिनेमा के निकट स्पीड ब्रेकर पार करने के लिए धीमी हुई, तो एक मोटरसाइकिल जो कार का पीछा कर रही थी, बाईं तरफ आकर रुकी और पीछे बैठे व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली तथा अत्यंत निकट से विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) को गोली मार दी और भाग गए । शिकायतकर्ता और विपदग्रस्त दोनों ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में अपीलार्थी की शनाख्त की थी ।

28. अपीलार्थी ने किसी साक्षी की परीक्षा नहीं की थी । ऊपर नामित 14 अभियोजन साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा की गई थी । उसने प्रतिरक्षा में अपनी दोषिता से पूर्णतया इनकार किया ।

29. सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होते हुए यह दलील दी कि अपीलार्थी की शनाख्त परेड साक्ष्य के नियमों के विपरीत आयोजित की गई थी और अपीलार्थी की शनाख्त सिद्ध नहीं की जा सकी थी और उसने यह दलील दी कि अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार केवल दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) और विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) थे । तथापि, अपीलार्थी जिसे द्वितीय अभियुक्त के रूप में नामांकित किया गया था, की शनाख्त केवल अभि. सा. 8 द्वारा ही की गई थी ।

30. सेशन न्यायालय के निर्णय और आदेश से, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से अभिपुष्टि की गई थी, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की शनाख्त पंच साक्षी (अभि. सा. 10) के अतिरिक्त विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) और शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) दोनों द्वारा की गई थी । जो भी स्थिति हो, क्षतिग्रस्त विपदग्रस्त का परिसाक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है ।

31. सुश्री अरोड़ा ने इस न्यायालय पर यह प्रभाव डालने के लिए कि शिकायतकर्ता कार का ड्राइवर होने के कारण अपीलार्थी की पहचान

नहीं कर सकता था, यह उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह कहा था कि "फिर मैंने मेरी कार के पीछे दो व्यक्तियों को देखा, इनमें से एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसने काले चश्मे और काली टोपी पहनी थी" । उसने न्यायालय में अपने परिसाक्ष्य में यह कहा था :–

> ".....मैंने बीच वाले दर्पण से पिछली तरफ देखा । उस समय पर दो व्यक्ति दुपहिए पर मेरे पीछे आ रहे थे, जिनमें से आगे बैठे व्यक्ति ने काले चश्मे और काली टोपी पहने हुई थी । (मुख्य परीक्षा)
>
> .....इसके पश्चात् तारीख 4 जनवरी, 2003 को पुलिस ने मुझे घीकांता न्यायालय में बुलाया था । मैं वहां 3.45 से 4.00 बजे के बीच सायंकाल में पहुंचा था । चपरासी ने मुझे न्यायालय के बाहर बैठने वाले स्थान पर बिठाया था और लगभग पंद्रह-बीस मिनट के पश्चात् मुझे पुन: बुलाया गया था । मुझे न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष ले जाया गया था और वहां बैठे न्यायाधीश ने मेरा नाम, पता आदि पूछा था । उसके पश्चात् एक व्यक्ति की शनाख्त करने के लिए कहा था और मैंने छह व्यक्तियों में से शनाख्त की थी । मैंने मध्य में खड़े तीसरे और चौथे व्यक्ति की शनाख्त की थी और उसका हाथ पकड़ा और खींचा था । न्यायाधीश ने इस व्यक्ति से नाम पूछा था और उस व्यक्ति ने अपना नाम मुस्ताक **उर्फ** कानियो बताया था । यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर (न्यायाधीश ने) मुझे जाने के लिए कहा था । (मुख्य परीक्षा)
>
> ..... यह सत्य है कि मैंने मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्तियों में से किसी को भी घटना से पूर्व कभी नहीं देखा था । यह सत्य है कि मैंने मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति की केवल पीठ देखी थी । उक्त मोटरसाइकिल घटनास्थल से लगभग चालीस से पचास किलोमीटर की गति से दूर चली गई थी । यह सत्य है कि घटना के पश्चात् मोटरसाइकिल हमारी कार के पिछले बाएं दरवाजे की तरफ से मुड़कर कच्ची सड़क पर चली गई थी ।

उक्त मोटरसाइकिल हमारी कार के सामने से नहीं गई थी अपितु हमारी कार के पिछले दरवाजे के बाईं तरफ मुड़ गई थी और चली गई थी । (प्रतिपरीक्षा)

यह सत्य है कि मैंने मोटरसाइकिल सवारों को देखा था, गोली चलने की आवाज सुनी थी और मोटरसाइकिल सवार चंदरेश नगर की ओर मुड़ गए थे, यह सब केवल पलक झपकते ही घटा था .....।

यह सत्य है कि उसी समय ही मैंने मोटरसाइकिल सवारों को चंदरेश नगर की ओर मुड़ते हुए देखा था । यह सत्य है कि वह सड़क जिस पर हमारा यान था, अति व्यस्त सड़क है । यह सत्य नहीं है कि वह यामाह मोटरसाइकिल नहीं थी अपितु यामाह जैसी मोटरसाइकिल थी । इस साक्षी ने जोरदार रूप से यह कहा कि यह यामाह मोटरसाइकिल ही थी । यह सत्य है कि घटना घटने पर मैं कार से बाहर नहीं आया था । डा. परेश शाह के अस्पताल पहुंचने के पश्चात् पहली बार मैं कार से बाहर आया था । उस समय पर जयदीपभाई को भी कार से बाहर लाया गया था .....।

यह सत्य है कि मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों के हुलिए के बारे में विशेष रूप से मैं केवल इतना जानता हूं कि उनकी आयु बीस से पच्चीस वर्ष होगी ।

यह सत्य है कि शनाख्त परेड में किसी भी व्यक्ति ने चश्मे नहीं पहने थे । यह सत्य है कि शनाख्त परेड में किसी व्यक्ति की सूक्ष्म आंख नहीं थी । (प्रतिपरीक्षा)

32. शिकायतकर्ता के साक्ष्य, जो ऊपर उद्धृत किया गया है, के साथ-साथ शिकायत के ऊपर उद्धृत भाग को निर्दिष्ट करते हुए सुश्री अरोड़ा ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि शिकायतकर्ता संभवत: निश्चितता के साथ अपीलार्थी की पहचान नहीं कर सकता था क्योंकि अपीलार्थी काले चश्मे और एक टोपी पहने हुए था, मोटरसाइकिल कार के पीछे थी न कि आगे, शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को पीछे देखने वाले

दर्पण से उस समय देखा था जब मोटरसाइकिल 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर थी और पिस्तौल से गोली चलने की आवाज सुनने पर शिकायतकर्ता के एक ओर घूमने के पश्चात् मोटरसाइकिल पलक झपकते ही मुड़कर चली गई थी ।

33. सादर, साक्षियों का साक्ष्य संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए । शब्दों और वाक्यों की कांट-छांट नहीं की जा सकती है और एकल-एकल नहीं पढ़े जा सकते हैं । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि वह उनकी शनाख्त कर सकता है और उसने वास्तव में मोटरसाइकिल के ड्राइवर की अपीलार्थी के रूप में शनाख्त की थी । अभि. सा. 11, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट है, शनाख्त परेड में शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी की शनाख्त करने की बात की अभिपुष्टि की थी ।

34. सुश्री अरोड़ा ने उसके पश्चात् अभि. सा. 11, मोहम्मदयुनुस ए. मसूंरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसने शनाख्त परेड आयोजित की थी, के परिसाक्ष्य को, विशिष्ट रूप से निम्नलिखित भागों को निर्दिष्ट किया :–

> "इस मामले के अभियुक्तों को तारीख 2 जनवरी, 2003 को 4.30 बजे न्यायालय कक्ष में मेरे समक्ष लाया गया था, अभियुक्तों से उनका नाम, पता पूछा गया था तथा उनका सत्यापन किया गया था और उन्हें न्यायालय में बैठाया गया था .....
>
> .....उसके पश्चात्, बाहर से मेरे चपरासी के माध्यम से पांच नकली व्यक्तियों को बुलाया गया था । इसी बीच मामले के साक्षी नहीं आए थे और मेरे एक अन्य चपरासी ने इस बारे में सूचित किया था कि वे 4.35 बजे अपराह्न में आए थे । (प्रतिपरीक्षा)
>
> ..... यह सत्य है कि अभियुक्तों को नकाब में पेश नहीं किया गया था । .....
>
> ..... यह सत्य है कि पंचनामा में किसी भी नकली (डम्मी) व्यक्ति का हुलिया नहीं दिया गया है । यह सत्य है कि यदि प्रदर्श-64 में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तों की आयु लगभग बीस से पच्चीस वर्ष है । यह सत्य है कि डम्मी व्यक्तियों में कोई भी 27 वर्ष की आयु का नहीं है । .....

..... मैंने साक्षी से यह नहीं पूछा था कि क्या आपने शनाख्त परेड से पूर्व अभियुक्तों को देखा था या नहीं ।

यह सत्य है कि यदि यह प्रतीत होता है कि दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार थे और काले चश्मे और काली टोपी पहनी थी तथा उनकी आयु लगभग बीस से पच्चीस वर्ष थी । यदि यह भी प्रतीत होता था कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने काली जैकेट काली जींस पहने हुई थी । यह सत्य है कि यदि यह भी उल्लिखित था कि शिकायतकर्ता मोटरसाइकिल सवारों की शनाख्त कर सकता था और साक्षी ने उस व्यक्ति की शनाख्त कर सकता था जिसने गोली चलाई थी । यादि प्रदर्थ-64 से मैं यह नहीं मानता कि अभियुक्त सलीम मोटरसाइकिल का ड्राइवर था । .....

यह सत्य है कि मेरे अनुदेशों के बावजूद दोनों अभियुक्तों को शनाख्त परेड के समय नकाब से ढककर नहीं लाया गया था । पुलिस द्वारा मेरे ऐसे स्पष्ट अनुदेश का पालन नहीं करने पर मैंने कोई कार्यवाहियां नहीं की थी । यह सत्य है कि मैंने यह महसूस किया था कि कौन सा साक्षी कौन से अभियुक्त की शनाख्त कर सकता था ।

यह सत्य है कि मेरे न्यायालय कक्ष के बाहर एक गलियारा है और उसके बाद चार दीवारी स्थित है । यह सत्य है कि गलियारे तथा कम्पाउंड दोनों स्थानों पर पुलिस और जनता के बहुत सारे सदस्य होते हैं । यह सत्य है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं कि जब साक्षी और अभियुक्तों को मेरे पास लाया गया था तो क्या साक्षी और अभियुक्तों का मुझसे परिचय कराया गया था । .....

..... दोनों ही समय पर मैंने यह महसूस नहीं किया था कि डम्मी व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति उपयुक्त नहीं है और उसे वापिस भेजा जाना चाहिए । मैंने डम्मी व्यक्तियों की आयु, कद, चेहरे-मोहरे और वस्त्रों पर विचार नहीं किया था । यह सत्य है कि मैं अब भी एक भी डम्मी व्यक्ति का हुलिया नहीं बता सकता हूं । .....

..... यह सत्य है कि अभियुक्तों को पंक्ति में डम्मी व्यक्तियों के साथ व्यवस्थित करने के पश्चात् मेरा चपरासी साक्षी को बुलाने के लिए गया था, ऐसा दोनों ही समय पर हुआ था । यह सत्य है कि मैं यह नहीं कह सकता कि दोनों ही समय के दौरान मेरे चपरासी और साक्षी के बीच कोई बातचीत हुई थी या नहीं । .....

..... यह सत्य है कि दोनों पंचनामा के दौरान मैंने अभियुक्तों से पूछताछ नहीं की थी । यह सत्य है कि पंचनामा पूर्ण होने के पश्चात् दोनों में से किसी भी साक्षी ने यह सूचित नहीं किया था कि किस कारण से उसने अभियुक्तों की शनाख्त की है । ....."

35. अभि. सा. 11, न्यायिक मजिस्ट्रेट के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी तथा नकली व्यक्तियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्षियों के पहुंचने से पूर्व लाया गया था । यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अपीलार्थी की सम्यक् रूप से शनाख्त की गई थी । प्रतिरक्षा पक्ष अपीलार्थी की शनाख्त परेड में किसी ऐसी कमी को दर्शित करने में सफल नहीं रहा था जिससे शनाख्त दूषित होती हो ।

36. यह सुझाव दिया गया है कि गलियारे में बहुत सारे पुलिस वालों के साथ-साथ बहुत सी आम जनता भी थी जिससे यह इंगित होता है कि हो सकता है पुलिस द्वारा साक्षियों को संकेत कर दिया गया हो । इस तथ्य के अतिरिक्त कि साक्षियों और पुलिस वालों के बीच किसी मेल-मिलाप का कतई कोई साक्ष्य नहीं है, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि अपीलार्थी को उसके समक्ष साक्षियों के पहुंचने से पूर्व लाया गया था । न्यायिक मजिस्ट्रेट के मौखिक साक्ष्य के हाव-भाव से यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि उसने सत्यता से अभिसाक्ष्य दिया था और किसी दरार या कमी को भरने की कोशिश नहीं की थी ।

37. सुश्री अरोड़ा की इस दलील को कि सेशन न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि अपीलार्थी की शनाख्त को सिद्ध नहीं किया गया है, किंतु साथ ही साथ इन्हीं साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया था, स्वीकार करना मुश्किल है । सुश्री अरोड़ा द्वारा अवलंब लिए गए विचारण न्यायालय के निर्णय के भाग को इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"30. जोरदार रूप से यह दलील दी गई है कि अपराध के अपराधी होने के नाते अभियुक्त सं. 1 और 2 की शनाख्त के विषय में कुछ संदेह हैं, मेरी राय में, मैं इतना कह सकता हूं कि ये दलीलें पूर्णत: गुणागुणहीन नहीं हैं । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई इस दलील में कुछ गुणता है कि यद्यपि अभियुक्त सं. 1 और 2 किसी अन्य अपराध के संबंध में अभियुक्त के रूप में उनकी गिरफ्तारी होने पर पहले ही नरोदा पुलिस की अभिरक्षा में थे, ऐसा कोई सार्थक कारण नहीं है कि वर्तमान अपराध के लिए इसके लगभग एक सप्ताह पश्चात् क्यों इनको गिरफ्तार किया गया था । इसमें यह भी गुणता है कि चूंकि दोनों अभियुक्त पहले से ही पुलिस की अभिरक्षा में थे अर्थात् सुसंगत तारीखों को नरोदा पुलिस की अभिरक्षा में थे, फिर क्यों क्रमश: तारीख 1 जनवरी, 2003 और 3 जनवरी, 2003 को अलग से शनाख्त परेड आयोजित की गई थी । यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उस अन्वेषक अधिकारी, अभि. सा. 14 द्वारा कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसने, मेरी राय में, एक आकस्मिक रीति में साक्ष्य दिया था न कि अति गंभीर रीति में ..... ।"

38. सेशन न्यायालय के निर्णय को समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए । भले ही विचारण न्यायालय ने उस आकस्मिक रीति के विषय में कतिपय मताभिव्यक्तियां की थीं, जिस रीति में अन्वेषक अधिकारी ने साक्ष्य दिया था, फिर भी विचारण न्यायालय ने यह पाया था कि दोनों संबंधित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 12 और अभि. सा. 8 द्वारा प्रथम अभियुक्त और द्वितीय अभियुक्त की निश्चित रूप से शनाख्त की गई थी ।

39. निर्णय के सुसंगत भाग को इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"31. यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विधिमान्य शनाख्त परेड के दौरान दोनों संबंधित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् क्रमश: अभि. सा. 12 और अभि. सा. 8 द्वारा दोनों अभियुक्तों सं. 1 और 2 की उन व्यक्तियों के रूप में निश्चित रूप से शनाख्त की थी जो मोटरसाइकिल पर आए थे, जिसे अभियुक्त सं. 2 द्वारा

चलाया जा रहा था और अभियुक्त सं. 1 उस पर पीछे बैठा था तथा इसके अतिरिक्त जो बात प्रकट होती है वह यह निर्विवाद और अविवादास्पद तथ्य है कि अभियुक्त सं. 1 ने एक पिस्तौल जैसा आयुध निकाला था और इससे डाक्टर जयदीप पटेल को अत्यंत निकट से गोली मारी थी । शनाख्त परेड क्रमश: प्रदर्श 65 और 67 की अभि. सा. 11 मोहम्मदयुनुस ए. मंसूरी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट होने के नाते संतुष्टि की गई है और क्रमश: अभि. सा. 12 और अभि. 8 के परिसाक्ष्यों द्वारा भी इसकी संपुष्टि की गई है और समर्थन किया गया है तथा प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा की गई विस्तृत प्रतिपरीक्षा के बावजूद सभी तीनों साक्षियों के परिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे थे और इन परिसाक्ष्यों के संचयी प्रभाव से मैं नि:संकोच रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि क्रमश: अभि. सा. 12 और अभि. 8 द्वारा शनाख्त परेडों के दौरान अभियुक्त सं. 1 और 2 दोनों की निश्चित रूप से शनाख्त की गई थी .....।"

40. हम सुश्री अरोड़ा की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए अपील को खारिज करके और दोषसिद्धि को कायम रखकर गलती की है कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा साक्षियों की विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई थी किंतु उनके साक्ष्य पर विश्वास न करने के लिए प्रतिपरीक्षा में कोई उलझाने वाली बात प्रकट नहीं हुई थी । अभिलेख पर यह बात आई है कि दोनों साक्षियों ने अलग-अलग शनाख्त परेडों के दौरान प्रथम अभियुक्त तथा इस अपील में अपीलार्थी की निश्चित रूप से शनाख्त की थी ।

41. सुश्री अरोड़ा की यह दलील भी संधार्य नहीं है कि निचले न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की है कि अभियोजन साक्षियों द्वारा अपीलार्थी की निश्चित रूप से शनाख्त की गई थी । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अपराध तथा पंच साक्षी के रूप में युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी की शनाख्त को साबित किया गया था । यह सत्य हो सकता है कि गलत शनाख्त और एक त्रुटियुक्त शनाख्त परेड के आधार पर की गई दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

सुश्री अरोड़ा द्वारा उद्धृत **इकबाल और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में विधि की प्रतिपादना अनिंदनीय है तथापि, जैसा कि ऊपर मत व्यक्त किया गया है, इस मामले में विपदग्रस्त और शिकायतकर्ता दोनों द्वारा वास्तव में अपीलार्थी की शनाख्त की गई थी तथा पंच साक्षी (अभि. सा. 10) द्वारा भी न्यायालय में अपीलार्थी की शनाख्त की गई थी । इस शनाख्त को गलत नहीं कहा जा सकता है । न ही शनाख्त परेड ऐसी कमी से ग्रस्त है जिससे स्वयं शनाख्त दूषित होती हो ।

42. सुश्री अरोड़ा ने आगे यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष उस गोली को, जो डा. श्रीकांत (अभि. सा. 13) द्वारा विपदग्रस्त के शरीर से निकाली गई थी, अभिरक्षा में लेने की श्रृंखला को सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा था । उसने डा. श्रीकांत के इस अभिसाक्ष्य को निर्दिष्ट किया कि :–

> "शल्यक्रिया के पश्चात् हमने जो गोली रोगी के शरीर से निकाली थी, उसे सिस्टर को दिया था, सिस्टर से अभिप्राय: साथ खड़ी नर्स से है, मुझे यह व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि उसने यह गोली किसे दी थी, हमने उसे गोली खुली दी थी । यह सत्य है कि चिकित्सा-विधिक मामले में जब किसी के शरीर से कोई गोली निकाली जाती है, तब यह सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसी गोली पर किसी प्रकार की कोई रगड़ प्रकट न होती हो या यह किसी तरीके से खराब न हो सके । मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी गोली को खुले डिब्बे में रखा जाना चाहिए और न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए । यह सत्य है कि मैंने कहीं भी उक्त गोली का कोई विवरण वर्णित नहीं किया था ।" (पृष्ठ 118-119 पर प्रतिपरीक्षा के अनुसार) ।

43. सुश्री अरोड़ा ने यह भी उल्लेख किया कि अन्वेषक अधिकारी ने चौदहवें अभियोजन साक्षी (अभि. सा. 14) के नाते अपने साक्ष्य में यह कहा था ".....आज मुझे यह स्मरण नहीं है कि जो गोली स्ट्रलिंग

---

[1] (2015) 6 एस. एस. सी. 623.

अस्पताल द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई थी वह मुहरबंद दशा में थी या नहीं .....।" (प्रतिपरीक्षा)

44. सुश्री अरोड़ा ने यह दलील दी कि जब दोषसिद्धि कोई गोली चलाने पर आधारित हो, तो अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना चाहिए कि वह गोली न्यायालयिक परीक्षण के लिए भेजी गई थी । अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा था । सुश्री अरोड़ा ने विचारण न्यायालय के निम्नलिखित निष्कर्षों की शुद्धता को प्रश्नगत किया :–

> "पंचनामा प्रदर्श 82 की पुन: संपुष्टि होती है और इसलिए यद्यपि अन्वेषक अधिकारी को गोली विधि के उपबंधों के अनुसार न सौंपे जाने की रीति के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, तो भी मेरी यह राय है कि भले ही कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, तो भी इस बात से अभियोजन का वृत्तांत इस सीमा तक दुर्बल और अस्वीकार्य नहीं हो सकता है जिससे अभियुक्त सं. 1 और 2 को क्लीनचिट दी जा सके या इसके परिणामस्वरूप दोषमुक्ति हो सके, जैसी कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा ईप्सा की गई है ।

45. हम सेशन न्यायालय के निष्कर्षों में कोई ऐसी गलती नहीं पाते हैं जिससे उनमें हस्तक्षेप करना आवश्यक हो । जब घटना घटने और विचारण के बीच समय का अंतराल होता है, तो पुलिस/अन्वेषक अधिकारी के लिए सूक्ष्म ब्योरो को स्मरण करना असंभव होता है । न ही शल्यक्रिया करके किसी रोगी के शरीर से गोली निकालने वाले शल्य चिकित्सक के लिए उस गोली को अभिरक्षा में लेने की तारतम्यता पर प्रकाश डालना संभव है, जो उसने परिचर्या करने वाली नर्स को सौंप दी थी । अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए अपराध में आलिप्त करने वाला पर्याप्त साक्ष्य है ।

46. सुश्री अरोड़ा ने यह भी दलील दी कि एक खुले मैदान से एक आयुध की अभिकथित बरामदगी का अवलंब लेकर की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । उसने अपने दलील के समर्थन में इसमें नीचे उद्धृत अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 14) के परिसाक्ष्य को निर्दिष्ट किया :–

"..... तारीख 5 जनवरी, 2003 को अभियुक्त मुस्ताक अहमदभाई शेख ने इस अपराध में प्रयुक्त आयुध तथा दो अन्य आयुधों को दिखाने की इच्छा जाहिर की, जो शाहआलम दरगाह के सामने मैदान में गाढ़कर छिपाए हुए थे.....।

हम शाहआलम दरगाह पर आए, जहां अभियुक्त ने बताया कि जीप और आगे नहीं जाएगी, इसलिए हम उतर गए, अभियुक्त आगे-आगे चला और शाहआलम दरगाह से विपरीत दिशा में एक गली से एक खुले मैदान में आए और उसने मैदान से रेत हटाया और एक कपड़े के थैले में रखे गए आयुधों को बाहर निकाला और दिखाया जिसमें दो पिस्तौल और तमंचा थे, जिनके लिए एक विस्तृत पंचनामा बनाया गया और उन्हें अभिगृहीत किया गया तथा सभी तीनों आयुधों को अलग-अलग पैक किया गया और मुहरबंद किया गया, पंचों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षिरत एक पर्ची इनमें रखी गई और मुहरबंद किए गए ।"

47. सुश्री अरोड़ा ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष अभिकथित घटना की तारीख से एक माह के पश्चात् एक खुले मैदान से की गई आयुधों की बरामदगी का अवलंब नहीं ले सकता था । अभि. सा. 14, अन्वेषक अधिकारी अभिकथित बरामदगी के स्थान और उसकी दिशा के विवरण के विषय में की गई प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरा था । सुश्री अरोड़ा ने अपनी दलीलों पर बल देने के लिए अभि. सा. 14 की प्रतिपरीक्षा को निर्दिष्ट किया, जहां उसने यह कथन किया था कि :–

"यह सत्य नहीं है कि वह स्थान जहां से अभियुक्त ने आयुध को पाया था वह काफी दूर स्थित है और मुख्य सड़क से गहराई में है । मुझे अब स्मरण नहीं है कि जीप से नीचे उतरने के पश्चात् और उस स्थान पर पहुंचने के लिए वह स्थान तीन मोड़ों के पश्चात् आता है या नहीं, मुझे अब यह स्मरण नहीं है । यह सत्य है कि रास्ते में बहुत सारे आवासीय मकान आए थे, मैं यह नहीं कह सकता कि उन आवासीय मकानों की पंक्ति के सामने क्या स्थित है । यह सत्य है कि वह स्थान जहां से आयुध पाया गया था वह एक खुली जगह थी और वहां कोई यातायात नहीं था । मैंने

उक्त स्थान के निकट स्थित आवासीय मकानों से किसी का कथन अभिलिखित नहीं किया था ।"

48. मेरी सुविचारित राय में, साक्ष्य में आई छुट-पुट विसंगतियों और मकानों, सड़कों और गलियों के विवरण के ब्योरे को कई वर्षों के पश्चात् स्मरण करने में असमर्थता से स्वयं बरामदगी का साक्ष्य दूषित नहीं हो जाता है । अपीलार्थी ने पुलिस को वह स्थल दिखाया था जहां रेत के नीचे आयुधों को छिपाया गया था । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया था :–

"पुन: संपूर्ण वृत्तांत की सकारात्मक संपुष्टि करना अभियुक्त सं. 2 के बताने पर पंचनामा प्रदर्श 88 के अनुसार मुद्दामल आयुध की बरामदगी का तथ्य है, जिस पंचनामे से सकारात्मक रूप से मुद्दामल की बरामदगी सिद्ध होती है । उक्त पंचनामा की स्वतंत्र संपुष्टि और समर्थन अभि. सा. 10 प्रदीप मोहनभाई पटेल के परिसाक्ष्य से होती है, जिसने न केवल अभियुक्त सं. 2 की सकारात्मक रूप से शनाख्त की थी अपितु पंचनामा प्रदर्श 88 में प्रतिबिंबित प्रक्रिया की भी पूर्ण संपुष्टि की थी । मेरी राय में, यह पंच साक्षी विस्तृत प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर पूरी तरह से अडिग रहा था और मेरी राय में इस साक्षी को त्यक्त करने या उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

.....मेरी राय में, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त सं. 1 और 2 की सकारात्मक शनाख्त, अभियुक्त सं. 2 के बताने पर मुद्दामल आयुध की बरामदगी को सिद्ध करते हुए घटना घटने की कड़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है ।"

49. सुश्री अरोड़ा ने अपनी इस दलील के समर्थन में कि सभी की पहुंच के भीतर वाले खुले स्थान से की गई बरामदगी दूषित थी और अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता था, निम्नलिखित निर्णय उद्धृत किए :–

1. **सलीम अख्तर** उर्फ **मोटा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1]

---

[1] (2003) 5 एस. सी. सी. 499.

2. **बोधराज** उर्फ **बोधा और अन्य** बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य**[1]

50. अभिलेख पर के साक्ष्य और सामग्री से यह नहीं कहा जा सकता है कि आक्रामक आयुध की बरामदगी सभी की पहुंच वाले एक खुले स्थल से की गई थी । आयुध शाहआलम दरगाह के पीछे एक खुले मैदान में रेत के नीचे से खोदकर निकाले गए थे ।

51. सुश्री अरोड़ा ने अंतिम रूप से यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष हेतु और षड्यंत्र को साबित करने में असफल रहा था, जो अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए आवश्यक था । तथापि, जहां गोली मारी गई थी और जहां गोली मारने के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, वहां हेतु को सिद्ध करना आवश्यक नहीं था । पुनरावृत्ति की कीमत पर यह दोहराया जाता है कि अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त दोनों की शनाख्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, जो कि शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) और विपदग्रस्त हैं, द्वारा की गई थी ।

52. अभियोजन पक्ष हिंदू समुदाय के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने के बड़े षड्यंत्र को साबित करने में समर्थ नहीं हो सका था । अभियोजन पक्ष द्वारा बड़े षड्यंत्र को सिद्ध करने में असमर्थ रहने के परिणामस्वरूप तीसरे अभियुक्त की दोषमुक्ति की गई थी । यह सुस्थिर है कि साक्ष्य में छुट-पुट विसंगतियों से दोषसिद्धि दूषित नहीं हो जाती है । समय के बारे में विसंगति, यदि कोई हो, महत्वहीन है । अभि. सा. 8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा था कि घटना तारीख 3 दिसंबर, 2002 को 4.45 बजे से 5.00 बजे के बीच अपराह्न में घटी थी । विपदग्रस्त ने यह कहा था कि घटना लगभग 4.45 बजे अपराह्न में घटी थी । उन दोनों ने यह कहा था कि घटना ग्लेक्सी सिनेमा के निकट घटी थी ।

53. विचारण न्यायालय ने विचारण के दौरान अभिलेख के साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया था । यह दोहराया जाता है कि अपराध के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने, जो विपदग्रस्त और उसकी कार का ड्राइवर, शिकायतकर्ता है, अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त की विश्वासपूर्वक

---

[1] (2002) 8 एस. सी. सी. 45.

शनाख्त की थी और उन्हें प्रतिपरीक्षा में डगमगाया नहीं जा सका था । अभि. सा. 10 ने अपीलार्थी के बताने पर उसकी मौजूदगी में की गई आयुध की बरामदगी का साक्ष्य दिया था और न्यायालय में भी अपीलार्थी की शनाख्त की थी । अपराध की घोरता और क्षति की गंभीरता तथा उस रीति जिसमें विपदग्रस्त को गोली मारी गई थी, पर विचार करते हुए मुश्किल से कोई संदेह हो सकता है कि यह प्रयत्न विपदग्रस्त की हत्या करने का नहीं था । उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दंडादेश को बढ़ाकर छह वर्ष की बजाय सात वर्ष कर दिया था ।

54. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और अभियोजन पक्ष तथा अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों को सुनने के पश्चात् यह पाया था कि तीसरा अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वह किसी षड्यंत्र का भाग था । तद्नुसार, तीसरे अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था । तथापि, सेशन न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त को दोषी पाया और उन्हें विपदग्रस्त को निशाना बनाने और हत्या का प्रयत्न करने में एक-दूसरे की सहायता करने और दुष्प्रेरित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 307, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख)(क) के साथ पठित बंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया था ।

55. सेशन न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 307 के अधीन अपराध के लिए छह वर्ष का कठोर कारावास, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ख)(क) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास और बंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) का अतिक्रमण करने के लिए छह माह का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया था । दंडादेश समवर्ती रूप से चलने थे और दंडादेश की कुल अवधि की संगणना करते समय अपीलार्थी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत किए गए समय को अपास्त करने का आदेश दिया गया था ।

56. विचारण न्यायालय ने, निष्कर्षत:, यह पाया था :–

(i) किसी तनिक संदेह के बिना यह सिद्ध किया गया है कि विपदग्रस्त को गोली लगने की क्षतियां पहुंची थीं । यह भी साबित किया गया है कि घटना अभिकथित रीति में घटी थी ।

(ii) प्रतिरक्षा पक्ष की यह दलील कि क्षतियां इतनी जोखिम भरी या घोर या गंभीर नहीं थी जिससे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को लागू किया जा सके, तीन-तीन चिकित्सा विशेषज्ञों, जिन्होंने क्षति की घोरता और गंभीरता के विषय में अभिसाक्ष्य दिया था, के परिसाक्ष्य पर विचार करते हुए स्वीकार्य नहीं है ।

(iii) न्यायालयिक प्रयोगशाला विशेषज्ञ, मुकेश एन. जोशी के साक्ष्य के साथ-साथ प्रदर्श 92 से यह सिद्ध होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के उपबंध लागू होने वाला अपराध किया गया था ।

(iv) पंचनामा (प्रदर्श 88) के निबंधनों के अनुसार की गई आयुध की बरामदगी को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है ।

(v) अन्वेषण के भागरूप छुट-पुट अनियमितताओं से और विशिष्ट रूप से उस आकस्मिक रीति से जिसमें अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 14) ने साक्ष्य दिया था, अभियोजन का पक्षकथन दूषित नहीं होता है ।

(vi) अपीलार्थी के साथ-साथ प्रथम अभियुक्त की भी शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) और विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) दोनों द्वारा तारीख 1 और 3 जनवरी, 2003 को आयोजित की गई शनाख्त परेड के दौरान सम्यक् रूप से शनाख्त की गई थी और न्यायालय में भी उनकी शनाख्त की गई थी । मात्र इस तथ्य से शनाख्त परेड अविश्वसनीय नहीं हो जाती है कि शनाख्त परेडें अलग-अलग तारीखों को आयोजित की गई थीं ।

(vii) दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अपीलार्थी और प्रथम

अभियुक्त की उन व्यक्तियों के रूप में शनाख्त की थी जो मोटरसाइकिल पर थे । मोटरसाइकिल अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही थी और प्रथम अभियुक्त पीछे सवार था । दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने पीछे बैठे व्यक्ति अर्थात् प्रथम अभियुक्त को आयुध संभालते हुए देखा था । विपदग्रस्त ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया कि प्रथम अभियुक्त ने विपदग्रस्त पर अत्यंत निकट से गोली मारी थी । उक्त साक्षी विस्तृत प्रतिपरीक्षा के बावजूद अडिग रहे थे ।

(viii) संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 11) ने, जिसने शनाख्त परेड आयोजित की थी, अभि. सा. 12 और अभि. सा. 8 के शनाख्त से संबंधित साक्ष्य की संपुष्टि की थी और विस्तृत प्रतिपरीक्षा के बावजूद भी उसे डगमगाया नहीं जा सका था ।

(ix) आयुध की बरामदगी से संबंधित पंचनामा, प्रदर्श 88 को प्रदीप मोहनभाई पटेल (अभि. सा. 10) के मौखिक साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से साबित किया गया था और उसने अपीलार्थी की शनाख्त भी की थी ।

(x) अभियोजन पक्ष ने प्राक्षेपिकी रिपोर्ट, प्रदर्श 92 और न्यायालयिक प्रयोगशाला के विशेषज्ञों के इस साक्ष्य से यह सिद्ध किया है कि जो गोली विपदग्रस्त के शरीर से निकाली गई थी वह अपीलार्थी की संस्वीकृति के आधार पर बरामद किए गए आयुध से चलाई गई थी ।

57. हमारी सुविचारित राय में, सेशन न्यायाधीश ने ठीक ही यह पाया था कि छुट-पुट विसंगतियों के होते हुए भी, अभियोजन पक्ष ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अपराध की कड़ियों को अपीलार्थी से संबद्ध करते हुए घटनाओं की श्रृखंला को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है ।

58. इस अपील में, प्रथम अभियुक्त की दोषसिद्धि से हमारा सरोकार नहीं है । हमारी राय में, अभिकथित अपराधों में अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता को, अन्य बातों के साथ-साथ, विपदग्रस्त को पहुंची क्षति, विपदग्रस्त के शरीर से निकाली गई गोली, अपीलार्थी की संस्वीकृति के आधार पर बरामद किए गए आयुध से न्यायालयिक प्रयोगशाला के

परीक्षण द्वारा गोली को संबद्ध करके, अपराध के दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् शिकायतकर्ता (अभि. सा. 8) और विपदग्रस्त (अभि. सा. 12) के साक्ष्य, शिकायतकर्ता और विपदग्रस्त द्वारा शनाख्त परेड के साथ-साथ न्यायालय में भी अपीलार्थी की शनाख्त, पंच साक्षी (अभि. सा.10) द्वारा अपीलार्थी की उस व्यक्ति के रूप में शनाख्त करके जिसके बताने पर आक्रामक आयुध बरामद किया गया था, सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया था ।

59. हमारे मत में, सेशन न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष तीसरे अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा था, या यह सिद्ध नहीं कर सका था कि अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त उस षड्यंत्र का भाग थे जिसमें हिंदू समुदाय के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया था । हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने 2006 की दांडिक अपील सं. 1145 को ठीक ही खारिज किया था और प्रत्यर्थी राज्य द्वारा फाइल की गई 2006 की दांडिक अपील सं. 567 को मंजूर करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 307 के अधीन अपीलार्थी के दंडादेश में, अपराध की घोरता और गंभीरता पर विचार करते हुए, केवल सात वर्ष की सीमा तक वृद्धि करके ठीक किया था ।

60. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, हम इस अपील को खारिज करते हैं और अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश की, जो उच्च न्यायालय द्वारा वृद्धि की गई है, पुष्टि करते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

जस.
